



मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल
कोलार रोड भोपाल-462016 (म.प्र.)
Tel.0755-2424660, 0755&2492093,& 0755-2492096
website-<http://mpbou.edu.in>

क्र. 9128

भोपाल, दिनांक 29.08.2023

"अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रण"

विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा में शिक्षण सत्र 2023-24 के लिए शैक्षणिक कार्य हेतु अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक एवं अर्हताधारी उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 04/10/2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। शैक्षणिक अर्हता, -भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार यथा: "1.Masters Degree in any discipline with not less than 50% of marks 2.M.Ed. Degree in specific disability area with not less than 55% of marks or an equivalent grade of B+ in 10- Point scale of UGC Or An equivalent degree from a foreign university recognized by RCI. 3. Valid registration with RCI u/s 19 of RCI Act, 1992 is essential.

Desirable: 1.M.Phil /Ph.D in Special Education or Education with research emphasis on Special Education;. 2. Experience for a period of at least 2 year as teacher or researcher in the area of specific disability.

रिक्तियों का विवरण-

पद	विशेषज्ञता	संख्या
अतिथि शिक्षक	Visual Impairment (VI)	03
	Hearing Impairment (HI)	03
	Intellectual Disability (ID)	03
	Learning Disability (LD)	03

पद संख्या (आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय है) एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार मानदेय प्रदान किया जायेगा। विस्तृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट

<http://mpbou.edu.in> का अवलोकन करें।

कुलसचिव



मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

“अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रण”

विशेष शिक्षा विभाग

शैक्षणिक अर्हता, पद संख्या (आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय) एवं मानदेय की जानकारी

क्र.	पद	संख्या, कुल –12 विषय, विशेषज्ञता (शिक्षा)	शैक्षणिक अर्हता	मानदेय								
1	अतिथि शिक्षक (विशेष शिक्षा विभाग)	<table border="1"><tr><td>Visual Impairment (VI)</td><td>03</td></tr><tr><td>Hearing Impairment (HI)</td><td>03</td></tr><tr><td>Intellectual Disability (ID)</td><td>03</td></tr><tr><td>Learning Disability (LD)</td><td>03</td></tr></table>	Visual Impairment (VI)	03	Hearing Impairment (HI)	03	Intellectual Disability (ID)	03	Learning Disability (LD)	03	<p>1. Master Degree in any discipline with not less than 50% of marks 2. M.Ed. Degree in specific disability area with not less than 55% of marks or an equivalent grade of B+ in 10-Point scale of UGC Or An equivalent degree from a foreign university recognized by RCI. 3. Valid registration with RCI u/s 19 of RCI Act, 1992 is essential.</p> <p>Desirable: 1. M.Phil /Ph.D in Special Education or Education with research emphasis on Special Education;. 2. Experience for a period of at least 2 year as teacher or researcher in the area of specific disability.</p> <p>नोट:- (1) म.प्र. शासन उशिवि के नियमानुसार एस.सी/एस.टी/ओबीसी (नान क्रीमी लेयर) एवं निःशक्त जन आवेदको को एम.एड. डिग्री के प्राप्तांक में 10% का अधिभार दिया जायेगा। (2) म.प्र. के मूलनिवासी को वरीयता रहेगी। (3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित जारी अनुभव प्रमाण पत्र के लिए प्रत्येक वर्ष के 4 अंक का अधिभार प्रतिवर्ष दिया जायेगा जो अधिकतम 20 अंक प्रदान किये जायेंगे।</p>	रुपये 1500 / –प्रतिदिन
Visual Impairment (VI)	03											
Hearing Impairment (HI)	03											
Intellectual Disability (ID)	03											
Learning Disability (LD)	03											

नोट:- अतिथि विद्वानों का आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका के निर्णय के अध्यायधीन रहेगा।

अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

सरल क्रमांक	आवेदक का नाम, पता, एवं मोबाइल नम्बर	संवर्ग	जन्मतिथि	स्नातक स्तर का प्राप्तांक एवं प्रतिशत	स्नातकोत्तर स्तर का प्राप्तांक एवं प्रतिशत	बी.एड. प्राप्तांक एवं प्रतिशत	एम.एड. प्राप्तांक एवं प्रतिशत	पीएचडी / एमफिल / नेट / सेट	अनुभव वर्षवार						रिमार्क
									17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	योग	

दिनांक :

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

1. उपरोक्त प्रविष्टियों से संबंधित अभिलेख स्वप्रमाणित संलग्न किया जाना आवश्यक है।
2. अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित जारी अनुभव प्रमाण पत्र के लिए प्रत्येक वर्ष के 4 अंक का अधिभार प्रतिवर्ष दिया जायेगा जो अधिकतम 20 अंक प्रदान किये जायेंगे।
4. चयन के संबंध में लिये गये निर्णय का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा।
5. अतिथि शिक्षको का आमंत्रण मान. उच्च न्यायालय में दायर याचिका के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।